

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प शेखावाटी

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शेखावाटी व भू.अ.नि. रामगढ़ की रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार शेखावाटी तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 23 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|---------|--|-------------|--------------------------------------|---|
| 1 | शेखावाटी वर्षा रहण व कर्म प्रविष्टि महावन | 23 | खातदारान समस्त जाति चमार | खातदारान समस्त जाति महावन |

शेखावाटी
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक :-

प्रतिलिपि:-

1986
5/6/18

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शेखावाटी
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)